76

न्यायालय मा. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. - 1174 /निग./I/2007/पन्ना

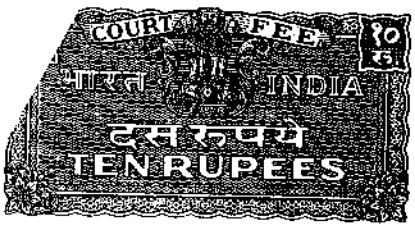

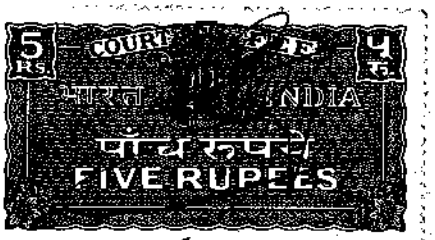

COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE ५ रु. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

R 1174-I/07

श्री कुंवर सिंह कुशवाह एड. द्वारा आज दि. 9.7.07 को प्रस्तुत।

अधीक्षक सचिव
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती नोनी बाई पुत्री स्व. श्री कल्या आदिवासी पत्नी श्री हरपर्या गोंड़ (आदिवासी) निवासी-ग्राम जरधोबा हॉल निवास-ग्राम-बांधी तहसील/जिला-पन्ना म.प्र. - आवेदिका

बनाम

1- बलवान सिंह तनय हल्के दौवा (मृतक)

अ- टक्की पुत्री बलवान सिंह पति शिवराम कृपाल सिंह निवासी ग्राम पवई जिला पन्ना

ब- मोतीलाल तनय बलवान सिंह

स- बरण सिंह तनय बलवान सिंह

द- जगदीश तनय बलवान सिंह

ई- मूरत सिंह तनय बलवान सिंह

फ- सूरज सिंह तनय बलवान सिंह

जी- इन्द्रजीत सिंह तनय बलवान सिंह

समस्त निवासी ग्राम जरधोबा तहसील व जिला पन्ना म.प्र.

अनावेदकगण

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 9/7/2007

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्र.क्र. 158/अ-23/2005-06 बलवान सिंह आदि बनाम श्रीमती नोनीबाई आदिवासी आदेश दिनांक 30.6.07 को पारित।

महोदय,

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

यह कि आवेदिका के पिता उक्त विवादित आराजी के भूमि स्वामी थे एवं गरीब अशिक्षित होने का फायदा अनावेदक क्र. 1 बलवान सिंह यादव जो धनाढ्य था ने कूट रचित फर्जी तौर पर 18.3.1965 के बयनामा के आधार पर अनावेदक ने दिनांक 25.11.75 को अपना नामान्तरण करा लिया जब आवेदिका को इसकी जानकारी 3.9.8[illegible] को हुई तो आवेदिका ने प्रतिवेदन तहसीलदार के माध्यम से एस.डी.ओ. पन्ना को प्रेषित किया एस.डी.ओ. का प्र.क्र.-16 अ 23/81-82 आदेश दिनांक 20.3.84 आवेदिका का

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1174–।/07 निगरानी जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8 –07–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता सुनील जादौन उपस्थित अनावेदकगण के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क श्रवण किए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 158/अ–23/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया कि ग्राम जरधोबा स्थित भूमि खसरा नं. 444, 470, 471 रकवा कमंशः 0.166, 0.781, 1.076 कुल किता 03 कुल रकवा 2.023 हे. आवेदक के पिता कलैया गोड़ के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अभिलिखित थी। वह अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति था। आवेदक के पिता ने उक्त आराजी अनावेदकगण के पिता बलवान सिंह को कभी विकय नहीं किया। आवेदक के पिता को धोखा देकर कपट एवं छलपूर्वक दिनांक 18.8.65 को अनावेदक के पिता बलवान सिंह (मृत) ने बैनामा करा लिया था। तत्पश्चात नामांतरण भी अपने नाम करा लिया। आवेदक आदिवासी है आदिवासी	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं की जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प.कं. 01/अ–23 /वर्ष 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 14.11.05 द्वारा आवेदक को आदिवासी मान्य कर उक्त भूमि पर अनावेदक के स्थान पर आवेदक के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया था । जिसके विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उन्होने यह तर्क भी दिया कि वर्तमान प्रकरण में धारा 165 (6) भू. राजस्व संहिता के अंतर्गत कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। बिना अनुमति प्राप्त किये संहिता की धारा 110 के अंतर्गत नामांतरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान न देकर वैधानिक त्रुटि की है। इस प्रकार उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया । 3– अनावेदकगण की ओर से लिखित बहस में यह तर्क दिये गये है कि उनके पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.8.65 को विधिवत पंजीयन उपरांत नामांतरण आदि की कार्यवाही पूर्ण होकर क्रय दिनांक से ही कब्जा है। इतने लंबे अंतराल के उपरांत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त या प्रभावहीन करने से संबंधी कोई वैधाकि अधिकार एस.डी.ओ. न्यायालय को नहीं था न ही माननीय न्यायालय को है।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1174–।/07 निगरानी जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उन्होने यह भी तर्क दिया कि विक्रेता कलैया की जाति राजगौड़ है उक्त जाति विक्रेता कलैया द्वारा विकय पत्र में स्वयं लिखाई थी कलैया की जाति राजगौड़ है जो बैनामा द्वारा सिद्ध है इस कारण उक्त भूमि कय करने में कलेक्टर से अनुमति ली जाना आवश्यक नही है। राजगौड़ शासन द्वारा धारा 165(6) के उपबंधों से पृथक रखी गयी है। इन सब तथ्यों का उल्लेख पूर्व में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.8.84 में किया गया है। किन्तु एस.डी.ओ. न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। उन्होने यह भी तर्क दिया कि विकेता कलैया राजगौड़ जाति का है या नहीं यह सिद्ध करने का भार अनावेदकगण का नहीं था। बल्कि आवेदक का था उसे यह सिद्ध करना था कि कलैया राजगौड़ जाति का नहीं है। यदि वह राजगौड़ जाति का नहीं होता तब उसकी जाति राजगौड विकय पत्र में नहीं लिखी जाती तथा विकय पत्र संपादित ही नहीं होता। विकय पत्र संपादित होने के 20 वर्ष बाद तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदकगण के पति/ पिता बलवान सिंह (मृत) के पक्ष में रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.8.65 को निस्पादित	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया गया है जिसे निरस्त या प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर ने उक्त सभी तथ्यों पर विचार कर वैध आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में कोई बल न होने से निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया । 4– मैने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क बिन्दुओं पर मनन किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.8.84 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया है कि राजगौड जाति शासन द्वारा धारा 165 (6) के उपबंधों से पृथक रखी गई है। एस.डी.ओ. न्यायालय द्वारा कलेक्टर के निर्देशों का पालन किये बिना मनमाना आदेश पारित किया गया है। विकेता कलैया राजगौड़ जाति का नहींहै यह सिद्ध करने का भार आवेदक पर है जिसे आवेदक ने न तो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष न ही इस न्यायालय के समक्ष साबित कर सके कि कलैया राजगौड जाति का नहीं है। इस प्रकार जब विकेता कलैया राजगौड़ जाति का है तब कलेक्टर की अनुमति ली जाना आवश्यक नही है प्रकरण में अनावेदकगण के पति/पिता बलवान सिंह (मृत) के पक्ष में रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.8.1965 को निष्पादित किया गया है जिसे निरस्त या प्रभावहीन करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। पंजीकृत विकय पत्र को माननीय व्यवहार न्यायालय से	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1174–I/07 निगरानी जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	ही शून्य अथवा निरस्त कराया जा सकता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है। अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2007 स्थिर रखा जाता है। अनावेदकगण के नाम की गई नामांतरण कार्यवाही को स्थिर रखा जाता है। सदस्य	